

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 123] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 1979/फाल्गुन 30, 1900
No. 123] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 1979/PHALGUNA 30, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1979

का. आ. 148 (अ).—केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 840 (अ) 18क/आई डी आर ए/77 तारीख 15 दिसम्बर, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं। अर्थात् :—

उक्त आदेश में, शीर्ष 'सदस्य' के नीचे प्रविष्टि 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“8 श्री वीरेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार
रसायन और उर्वरक विभाग
नई दिल्ली।

9. डा. पी. आर. गुप्ता
सलाहकार (अधि)
रसायन और उर्वरक विभाग
नई दिल्ली।”

[फा. सं. 4/26/76-सी.यू.सी.]

पी. सी. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 21st March, 1979

S.O. 148 (E).—In exercise of the powers conferred by section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 840(E)/18A/IDRA/77 dated the 15th December, 1977, namely :—

In the said Order, under the heading “Members”, after entry 7, the following entries shall be inserted, namely :—

“8. Shri Virendra Kumar
Joint Secretary and Financial Adviser
Department of Chemicals and Fertilizers
New Delhi.

9. Dr. P. R. Gupta
Adviser (Drugs)
Department of Chemicals and Fertilizers
New Delhi.”

[File No. 4/26/76-CUC]
P. C. NAYAK, Jt. Secy.